निगरानी प्र०क्र० / 03-04

प्रस्तुती दिनांक 16 जून 2003

श्रीमान बोर्ड आफ रेव्हेन्यू म०प्र० ग्वालियर ।

~~लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल,~~
~~निवासी ग्राम खुडैल बुजुर्ग~~ मृतक
तहसील इंदौर, जिला इंदौर (म०प्र०) --- प्रार्थी

पन्नालाल मृतक तर्फे वारिसान :-

~~(1) श्रीमती कमलाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण उम्र 60 वर्ष धन्धा खेती~~ मृतक

(1) प्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 42 वर्ष धन्धा खेती ।

(2) विष्णु पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 39 वर्ष धन्धा खेती

सभी निवासी ग्राम खुडैल तह० एवं जिला इन्दौर (म.प्र.)

विरुद्ध

1) म०प्र० शासन व्दारा :-
नायब तहसीलदार, इंदौर ।

2) अब्दुल शकूर पिता अब्दुल सत्तार,
निवासी ग्राम काजी पलासिया,
तहसील इंदौर जिला इंदौर (म०प्र०) --- प्रतिप्रार्थीगण

प्रोसिडिंग:- नामान्तरण बाबद ।

निगरानी अर्ज :- धारा 50 भू०राजस्व संहिता के तहत ।

प्रार्थी, श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग, इंदौर(म०प्र०) व्दारा (प्र.क्र. 28/98-99) पारित आदेश दिनांक 20-1-03 जिसके व्दारा उन्होंने श्री कलेक्टर महोदय, जिला इंदौर व्दारा स्वमेव निगरानी प्र०क्र० 81 / 98-99 में पारित आदेश दिनांक 15-3-99 को कायम रखते कलेक्टर महोदय इंदौर ने नायब तहसीलदार साहब, इंदौर व्दारा नामान्तरण प्र०क्र० 68-अ-6 / 92-93 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 7-9-93 को खारिज किया उससे असन्तुष्ट होकर यह निगरानी नीचे लिखे तथ्य एवम कारणों पर पेश है :-

:: प्रकरण के तथ्य ::

विवादित कृषि भूमि स्थित ग्राम काजी पलासिया, तहसील इंदौर के सर्वे नम्बर 255 / 1, 255 / 2, पैकि रकबा हेक्टर 1-517 आर०ए० भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 अब्दुल शकूर के नाम दर्ज रही होकर प्रतिप्रार्थी क्रमांक -2 के पास खेती करने का तदना(कृषि औजार) हल, बख्खर, डवरे तथा बैल आदि कृषि सामान नहीं होने से उसने सन् 88 में उस भूमि को अधबटाई पर हांकने के लिए प्रार्थी लक्ष्मीनारायण को दी । प्रार्थी ने स्वयं के व्दारा अपने हल , बख्खर, निजी बैल, आदि से उक्त भूमि पर बंटाईदार नाते काबिज होकर अधबटाई से खेती की और लगातार पांचसाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 912 पीबीआर/2003 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-3-2019	उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित । अत: प्रकरण आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । अध्यक्ष	